



दूरभाष
कार्यालय (07805) - 234541
निवास (07805) - 244110
फैक्स (07805) - 234540

email-dmsingrauli-mp@mail.nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली, दिनांक 09.06.26

आदेश

क्रमांक / 1350 / खनिज / कोयला / अवैध परिवहन / 2026 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 165 / आर.डी.एम. / कानून व्यवस्था / 2026 सिंगरौली दिनांक 22.05.2026 से, दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 24.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुये जिला अन्तर्गत सड़क मार्ग से पलाई ऐश (साखड़) एवं कोयले का परिवहन प्रतिबंधित किया गया था।

तहसीलदार, बरगवां के प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2026 अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करने वाले 04 वाहनों क्रमशः CG15EB9286, MP66ZC8731, CG15ED3615 एवं CG15EC6303 को सरई, झुरही, उज्जैनी होते हुये ग्राम मझौली, तहसील बरगवां स्थित रेलवे साइडिंग तक (गन्तव्य स्थान लगभग 60 कि.मी. एवं परिवहन अवधि लगभग 2.00 घन्टे में) परिवहन के दौरान दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 9.00 बजे जप्त किया गया है।

प्रकरण की जांच में उपरोक्त वाहनों को कोयला परिवहन हेतु मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह.कारपोरेशन लिमि. द्वारा ई-टीपी जारी कर खनिज कोयला प्रदाय किया जाना पाया गया। सम्बन्धित सभी वाहनों के ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक, प्रो0 अंजली कुशवाहा, निवासी नवानगर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) हैं।

अतः परियोजना प्रमुख मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह.कारपोरेशन लिमि. ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक एवं सम्बन्धित समस्त वाहन मालिकों द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में समाधानकारक जबाब 2 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करने हेतु क्रमशः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1200, दिनांक 27.05.2026 एवं पत्र क्रमांक 1198, दिनांक 27.05.2026 तथा पत्र क्रमांक 1244, दिनांक 29.05.2026 से नोटिस जारी किया गया।

जारी नोटिस के सम्बन्ध में परियोजना प्रमुख मे0 आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह. कारपोरेशन लिमि. की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.05.2026 को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 2.00 बजे तक ही कोयला परिवहन करने हेतु ई-टीपी जारी की गई थी (परिवहन अवधि प्रातः 6.00 बजे तक) ताकि सम्बन्धित वाहन प्रतिबंधित अवधि के पूर्व कोयला परिवहन कर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाय।

परियोजना द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि "In spite of our instructions, the vehicles have fled on the road in the restricted area during the prohibited period. In this connection, we humbly submit that the responsibility of the APMDC in accordance with the agreements with the Transporters/Buyers will get seized soon after loading the coal into the trucks from our stockyards, weighment at the weighbridges and issuing e-TP."

"It is also humbly submitted that the APMDC has been following the orders of the district authorities from time to time and also following the rules related to Law and order in true spirit. You are well aware that the APMDC has been taking all kinds of measures which will serve the safety, protection and welfare of the general public concerned. The vehicles which are seized now have violated the directions can be attributed to the particular transporter/buyer."

यद्यपि कोयला परिवहन का कार्य संविदाकार/परिवहनकर्ता के माध्यम से कराया जा रहा है, तथापि खदान संचालक संस्था APMDC उक्त कार्य की प्रधान नियोजक (Principal Employer) होने के कारण कोयला खनन तथा सम्बद्ध गतिविधियां जैसे – कोयला परिवहन तथा परिवहन व्यवस्था में पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

"ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके द्वारा प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार के प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करना नहीं था अपितु उपरोक्त स्थिति वाहन की तकनीकी खराबी एवं सुरक्षा कारणों से उत्पन्न हुई है।"

सम्बन्धित वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके द्वारा जानबूझकर शासकीय आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपितु दिनांक 23.05.2026 को प्रातः 5.30 बजे गन्तव्य स्थान मझौली रेलवे साइडिंग से 02 कि०मी० पूर्व ग्रामीणों एवं सरपंच द्वारा उनके वाहनों को रोक दिया गया था जिसके कारण सम्बन्धित वाहन प्रतिबंधित अवधि के पूर्व अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सके।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि APMDC से कोयला प्राप्त वाहन प्रतिबंधित अवधि के दौरान बरगवां क्षेत्र में परिवहन करते पाये गये। फलस्वरूप समाधान होता है कि APMDC तथा परिवहनकर्ता सृष्टि लॉजिस्टिक द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 165 दिनांक 22.05.2026 का स्पष्ट उल्लंघन कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है।

अतः परियोजना प्रमुख मे० आन्ध्र प्रदेश मिन.डव्ह.कारपोरेशन लिमि. एवं ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 का उल्लंघन होने से दण्डनीय अपराध है।

अतएव सम्बन्धित परियोजना एवं ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(गौरव बैनल)
कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म प्र)

(03)

पृ.क्र./135/खनिज/अवै.परि./2026
प्रतिलिपि :-

सिंगरौली, दिनांक
09.6.26

- 01- तहसीलदार बरगवां, की ओर सूचनार्थ एवं APMDC परियोजना तथा ट्रान्सपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।
- 02- थाना प्रभारी, थाना की ओर पालनार्थ।
- 03- परियोजना प्रमुख/ट्रान्सपोर्टर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)